

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास गुरु प्रसाद तंवर (आर.ए.एस.)
राजवीर बनाम तीजी वगै०

दावा अन्तर्गत धारा 53,188, 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 72/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू गुरु प्रसाद तंवर (आर.ए.एस.) व अधिवक्ता वादी श्री शम्मी मोहम्मद, व पैरोकार सरकार भिनजामिन मुद्दई रूबरू भिनजामिन मुछ्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते हैं कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....वाबत्.....X.....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31.07.2024 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।



१
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

बंटवारा प्रस्ताव देखे गए लभशपक्षान को कोई अपारि नहीं अतः प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तथा कुल लगान रु. 1.47/- का 15 गुणा 22.05/- पर वाद पर डिक्री निम्न प्रकार धारित की जाती है।

राजेश्वर सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राधारिया भा. बान्दनवाड़ा			तीजी पत्नि मिठू, बाबूलाल पुत्र मिठू, मंजू पुत्री मिठू समस्त जाति रेगर सा. देह ब.हि.व खातेदार		
खसरा नं.	रकबा	किस्म	खसरा नं.	रकबा	किस्म
2353/231/1	0.12	बारानी-2	2353/231/2	0.04	बारानी-2
			2333/244	0.33	बारानी-2
किता-2	0.36		किता-2	0.37	
लगान रु. 0.72/-			लगान 1.11/-		

तहसीलदार भिनाय यथा डिक्री अमल दरामद करावें।



(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)